प्रेषक,

आनन्द कौशिक,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 19 अक्टूबर, 2023

विषय: राजकीय हेलीकॉप्टर बेल 412 के सिमुलेटर पर कैप्टन राजेश कुमार शर्मा, पायलट (रोटर विंग) को मेसर्स हैट्सऑफ हेलीकाप्टर ट्रेनिंग प्रा0लि0, बंगलूरू में सिमुलेटर पर ग्राउंड कोर्स एवं कन्वर्जन ट्रेनिंग कराये जाने हेतु वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-188/ना0उ0नि0/आप्स-आर0के0एस0/2023 दिनांक 06 अक्टूबर, 2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त संदर्भित पत्र में किए गए प्रस्तावानुसार राजकीय हेलीकॉप्टर बेल 412 के सिमुलेटर पर कैप्टन राजेश कुमार शर्मा, पायलट (रोटर विंग) को मेसर्स हैट्सऑफ हेलीकाप्टर ट्रेनिंग प्रा0लि0, बंगलूरू में सिमुलेटर पर माह अक्टूबर, 2023 में 31.5 घण्टे की ग्राउण्ड कोर्स तथा 04 घण्टे की फ्लाईंग ट्रेनिंग तथा शेष 04 घण्टे की फ्लाईंग ट्रेनिंग माह नवम्बर 2023 में पूर्ण करने हेतु प्रशिक्षण शुल्क के रूप में रू0 11,57,500.00 +18% जी0एस0टी0 अर्थात् कुल रू0 13,65,850/- (रूपये तेरह लाख पैंसठ हजार आठ सौ पचास मात्र) का भुगतान बिल बेसिस के माध्यम से ट्रेनिंग पूर्ण होने की तिथि से एक माह के अन्दर भुगतान कराये जाने की वित्तीय स्वीकृति तथा ट्रेनिंग हेतु बैगलोर की यात्रा की स्वीकृति तथा यात्रा व्यय यथा समय टी0ए0/डी0ए0 बिल सम्बन्धित पायलट द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर भुगतान करने की वित्तीय स्वीकृति दी जानी है।

3- अतः श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकीय हेलीकॉप्टर बेल 412 के सिमुलेटर पर कैप्टन राजेश कुमार शर्मा, पायलट (रोटर विंग) को मेसर्स हैट्सऑफ हेलीकाप्टर ट्रेनिंग प्रा0लि0, बंगलूरू में सिमुलेटर पर माह अक्टूबर, 2023 में 31.5 घण्टे की ग्राउण्ड कोर्स तथा 04 घण्टे की फ्लाईंग ट्रेनिंग तथा शेष 04 घण्टे की फ्लाईंग ट्रेनिंग माह नवम्बर 2023 में पूर्ण करने हेतु प्रशासकीय स्वीकृति तथा प्रशिक्षण शुल्क के रूप में रू0 11,57,500.00 +18% जी0एस0टी0 अर्थात् कुल रू0 13,65,850/- (रूपये तेरह लाख पैंसठ हजार आठ सौ पचास मात्र) का भुगतान बिल बेसिस के माध्यम से ट्रेनिंग पूर्ण होने की तिथि से एक माह के अन्दर भुगतान कराये जाने की वित्तीय स्वीकृति तथा ट्रेनिंग हेतु बैगलोर की यात्रा की स्वीकृति तथा यात्रा व्यय यथा समय टी0ए0/डी0ए0 बिल सम्बन्धित पायलट द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर भुगतान करने की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

2/....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(1) उक्त के अतिरिक्त प्रश्नगत प्रशिक्षण के सन्दर्भ में मेसर्स हैट्स ऑफ हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग प्रा0लि0, बंगलुरू द्वारा कैप्टन राजेश कुमार शर्मा, पायलट (रोटर विंग) के प्रशिक्षण की आवंटित तिथि में यदि किसी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन किया जाता है तो ऐसी दशा में श्री राज्यपाल द्वारा मात्र प्रश्नगत प्रशिक्षण हेतु निदेशक, नागरिक उड्डयन को अधिकृत किया जाता है कि मेसर्स हैट्स ऑफ हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग प्रा0लि0, बंगलुरू से प्रशिक्षण की वास्तविक/संशोधित तिथि प्राप्त होने के बाद वे सम्बन्धित पायलट को ट्रेनिंग पर प्रस्थान करने हेतु अनुमति प्रदान करें। निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रशिक्षण की वास्तविक अवधि तथा प्रशिक्षण शुल्क में किसी भी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यदि प्रशिक्षण की प्रस्तावित अवधि तथा प्रशिक्षण शुल्क में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो उस अवस्था में यथा समय शासन की अनुमति प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(2) उक्त धनराशि का भुगतान प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् बिल बेसिस के माध्यम से ट्रेनिंग पूर्ण होने की तिथि से 01 माह के भीतर मेसर्स हैट्सऑफ हेलीकाप्टर ट्रेनिंग प्रा0लि0, बंगलुरू को किया जाएगा।

(3) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गई व्यवस्था के अनुसार स्वीकृत धनराशि के आहरण, भुगतान एवं समायोजन में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(4) पायलटगण को वायुयान का किराया एवं अन्य सुविधाएं अनुमन्य श्रेणी की ही स्वीकृत की जाएगी।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि में से समस्त भुगतान के पश्चात यदि धनराशि अवशेष बच जाती है तो उसे तत्काल राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

(6) उक्त प्रशिक्षण का परिणाम/प्रशिक्षण के उपरान्त लाइसेन्स पर पृष्ठांकनोपरान्त लाइसेन्स की प्रति और अन्य सम्बन्धित अभिलेख पायलट की व्यक्तिगत पत्रावली में संरक्षित करने/अभिलेखार्थ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(7) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(8) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्तीय वर्ष में स्वीकृत समस्त धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अवश्य कर लिया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुये महालेखाकार के पुस्तांकित आकड़ों में भी समायोजन करा दिया जाए।

(9) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना / स्त्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(10) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष आवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(11) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

3/....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(12) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(13) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथा समय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(14) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17 मार्च, 2023 (यथा संशोधित दिनांक 19 सितम्बर, 2023) में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुदान संख्या 38 के अन्तर्गत राजस्व लेखा शीर्षक ''2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-114-वाहन का क्रय तथा रख रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव।

संख्या-110/2023/1445(1)/छप्पन-2023 तद्दिनांक।

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (सामान्य), अनुभाग-1/2, वित्त (लेखा) अनुभाग-1
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण), अनुभाग-7
6- सचिव, भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय/इकोनॉमिक अफेयर्स, मंत्रालय, नई दिल्ली।
7- सम्बन्धित पायलटगण।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।